

21.02.2022

पत्रावली सेवा हुई मधिराज उद्यमपत्रक।

मधिराज मपीलांरगण ने पत्रावली पर

वर्ष का कटौत हुए निवेदन किया कि

मधीनस्थ न्यायालय द्वारा मपीलांरगण

को सुनवाई का समुचित अवसर

नहीं दिया गया। मूल दाय मधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष विचारधीन हो

गए के विचारधीन रहने मपीलांरगण

को नौक्रे के वेद व्यत किया जाता है

या रिहाई में वेद व्यत की जाती है

तो मपीलांरगण को मधुलीय मपी

होना संभाव्य हो मामला प्रथम

दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन

मपीलांरगण के पक्ष में हो मतः मपी

खीवाल फलान्त जावे।


रे.व्हा. संख्या 04 के मधिराज ने वर्ष


कटौत हुए निवेदन किया कि मपीलांरगण

की मपील खीवाल की जाती है

तो मुझे मोड मपति नहीं हो

रे.व्हा. संख्या 01 के 03, 05, 06 के

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बाह्य

  
~~मधिराज~~

नाम एचिटरठ लक्षण विधिगये वावजूद

सूचना मनुष्यलि।

मधिरव्वा उन्नमपत की पत्रावली परबदल  
सुनी गई। मधीनल्य न्यायालय द्वारा

हस्तगत प्रमाण में किसी प्रकार का  
मादेवा पारि नहीं किया गया। मपीलादगण

द्वारा संतर्पित मादेवा के विरुद्ध मपील पेवा  
की गई। मूल दावा मधीनल्य न्यायालय  
के समक्ष विचारधीन है। उन्नमपसमावन को

हस्तगत मावेदन में सुनना न्यायोचित हो  
लिया जावेदन/मपील स्वीकार की जाती  
है तथा मधीनल्य न्यायालय को निर्दिष्ट

दिनांक 46/2021 में उन्नमपस का सुनवाई  
का पूर्ण अवसर देने हुए दो माह  
में निष्ठाण करे तब तक न्यायालय

द्वारा द्वारा पारि मल्यार्थ निवेधादा  
दिनांक 15.09.2021 प्रभावी रहेगी।

पत्रावली फैसल सुमा नैकल लेकन  
होकर बाद तकमिल दायिल दफैल  
हो। मादेवा करे इजलाच सुनाया गया।  
मादेवा की प्रति मधीनल्य न्यायालय  
को निषवाई पावे।

राजस्व उपायल अधिकारी  
बाहमेर